FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

मैना चौधरी बनाम बाबूराम कोरा

किस्म मुकदमा रा० आवे० 128, III RCRAct नं. 146/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/05/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री श्रवण कुमार चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 128, III RCRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/06/19 को पेश हो।	
26/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील कराकर तामील रिपोर्ट श्रीमान पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य में व्यस्त होने से मिसल मुल्तवी होकर आगामी दिनांक 25/09/2019 को पेश हो।	
25/09/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या-1 से 3 व 5 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त व विप्रार्थी संख्या-4 के नोटिस पर फौत होना लिखा गया प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण संख्या-1 से 3 व 5 बावजूद तामील अनु०। प्रार्थी वकील विप्रार्थी संख्या-4 के वारिसान मुकाम व संशोधित शीर्षक पेश करे। पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 15/10/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म

15/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 से 3 व 5 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई, विपक्षीगण संख्या-1 से 3 व 5 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगण संख्या-1 से 3 व 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पत्रावली विपक्षी संख्या-4 के कायम मुकाम व संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 27/11/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

27/11/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 06/01/2020 को पेश हो।

06/01/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 04/03/2020 को पेश हो।

04/03/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या-4 के कायम मुकाम व संशोधित शीर्षक पेश किया गया। विपक्षी संख्या-4 के कायम मुकाम विपक्षी संख्या-4/1 की ओर से वकील श्री जगदीश जोशी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या-4/1 के अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। विपक्षी संख्या-4/1 का जवाब बन्द किया जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/03/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18 03/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की एडमिशन बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेजा सेज आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेढ व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे खेत के सेढों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है इस प्रकार प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करवाने हेतु पैमाबन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की पैमाबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम को दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 18.3.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/ 340 दिनांक– 18/03/2020

राजस्व आवेदन संख्या – 146/19

प्रार्थीगण बनाम **विप्रार्थीगण**

श्री मैना चौधरी पत्नी श्रवण कुमार जाति–जाट,
निवासी–लापला, कोसरिया
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री बाबुराम पुत्र रमदानराम वगैरा 5

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा लांपला पटवार हल्का कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 371, 377 रकबा क्रमशः 01.13, 40.10 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 18/03/2020

क्रमांक/आवेदन/2020/ 341 to 345

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मैना चौधरी पत्नी श्रवण कुमार।
4. विप्रार्थीगण श्री बाबुराम पुत्र रमदानराम वगैरह 5 ।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested